राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 736/2012/हनुमानगढ

सहायक आयुक्त
वृत बी,हनुमानगढ — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ज्योति कॉटन इण्डस्ट्रीज,
सांगरिया,हनुमानगढ — प्रत्यर्थी

प्रत्याक्षेप ज्ञापन संख्या 1404/2012/हनुमानगढ

मैसर्स ज्योति कॉटन इण्डस्ट्रीज,
सांगरिया,हनुमानगढ — अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वृत बी,हनुमानगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी राजस्व की ओर से
श्री सुरेश ओझा
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक: 26-8-2014

निर्णय

उपरोक्त अपील राजस्व सहायक आयुक्त, वृत हनुमानगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से एवं प्रत्याक्षेप ज्ञापन व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स)वाणिज्यिक कर,बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जयेगा) के द्वारा अपील संख्या 269/सीएसटी/हनुमानगढ/2010–11 में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। अतः निर्णय की प्रति दोनों प्रकरणों में पृथक–पृथक रखी जाये।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2020 "खल" की कर मुक्त बिक्री पर अधिनियम की धारा 18(1)(ई) में आई.टी.सी. देय नहीं होने के कारण कर को रिवर्स करने के आधार पर उस Excess I.T.C. को सी एस टी एक्त के कर निर्धारण में समायोजन रू. 2,41,785/–का नहीं दिये जाने के कारण मांग सृजित की गई थी। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2011 पारित करते हुए निर्णय पारित किया है कि " उक्त अपील प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलार्थी फर्म की वर्ष 2006–07 की अपील संख्या 362/आरवैट/हनमानगढ/2009–10 का निर्णय दिनांक 22.10.2010 को किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर रिवर्स टैक्स एवं क्रय कर को अपास्त कर दिया गया है। अतः अपील निर्णय अनुसार अधिक जमा

आई टी सी आर वैट एक्ट का समयोजन सी.एस.टी.एक्त के कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के आदेश में दिया जाये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 10.08.2011 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है एवं अपीला के विरूद्ध प्रत्याक्षेप ज्ञापन व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने वर्ष 2006–07 की अपील संख्या 362/आरवैट/हनमानगढ/2009–10 का निर्णय दिनांक 22.10.2010 को किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर रिवर्स टैक्स एवं क्रय कर को अपास्त कर अपील निर्णय अनुसार अधिक जमा आई टी सी आर वैट एक्ट का समयोजन सी.एस.टी.एक्ट के कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के आदेश में देने का निर्णय पारित कर अपील स्वीकार की है,जो विधिक नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर अपील स्वीकार की है। उन्होंने उक्त कथन के आधर पर प्रस्तुत अपील स्वीकार प्रत्याक्षेप ज्ञापन अस्वीकार करने का निवेदन किया।

व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.08.2011 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर प्रत्याक्षेप ज्ञापन स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में "खल" की कर मुक्त बिक्री पर अधिनियम की धारा 18(1)(ई) में आई.टी.सी. देय नहीं होने के कारण कर को रिवर्स करने के आधार पर उस Excess I.T.C. को सी एस टी एक्ट के कर निर्धारण में समायोजन रू. 2,41,785/–का नही दिये जाने के कारण मांग सृजित की गई थी,जिसके विरूद्ध व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने निष्कर्ष दिया कि "उक्त अपील प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलार्थी फर्म की वर्ष 2006–07 की अपील संख्या 362/आरवैट/हनुमानगढ/2009–10 का निर्णय दिनांक 22.10.2010 को किया जाकर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर रिवर्स टैक्स एवं क्रय कर को अपास्त कर दिया गया है। अतः अपील निर्णय अनुसार अधिक जमा आई टी सी आरवैट एक्ट का समयोजन सी.एस.टी. एक्ट के कर निर्धारण वर्ष 2007–08 आदेश में दिया जाये।" उक्त निष्कर्ष के विरूद्ध राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष से सम्बन्धित आदेश दिनांक 22.10.2010 पत्रावली पर उपलब्ध है,जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि उन्होंने अपील संख्या 362/आरवैट/हनुमानगढ/2009–10 का निर्णय दिनांक 22.10.2010 क्या निष्कर्ष

दिया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश स्पष्ट नहीं है। अपीलीय अधिकारी को चाहिए था कि अपीलाधीन आदेश में अपील संख्या 362/आरवैट/हनुमानगढ/2009–10 का निर्णय दिनांक 22.10.2010 में दिये गये तथ्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष एवं निर्णय देना चाहिए था,जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। इस पीठ के समक्ष अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 362/आरवैट/हनुमानगढ/2009–10 का निर्णय दिनांक 22.10.2010 की ना तो प्रति उपलब्ध है और ही उसका विश्लेषण अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2011 में दिया गया है,ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपील के सम्बन्ध में निर्णय दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2011 को अपास्त कर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह स्पष्ट एवं सुपाठ्य निर्णय इस निर्णय की प्राप्ति के तीन माह के भीतर व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित करें।

फलतः अपील एवं प्रत्याक्षेप ज्ञापन का निस्तारण उपरोक्त प्रकार से किया जाता है

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य